

नौवीं अनुसूची  
(धारा 152 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में, टैरिफ मद 2402 20 10, 2402 20 20, 2402 20 30 और 2402 20 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में “60 मिलीमीटर” अंकों और शब्द के स्थान पर क्रमशः “65 मिलीमीटर” अंक और शब्द रखे जाएंगे।